प्रेस विज्ञप्ति
16/02/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एच आई यू-1 कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) के प्रावधानों के अंतर्गत वीडियोकॉन मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में श्री वी. धूत तथा 12 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध दिनांक 18.12.2024 को अभियोजन शिकायत माननीय विशेष न्यायालय, राउस एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2026 के आदेश के माध्यम से धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा 13 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं।

इस मामले में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने के पश्चात दिनांक 23.06.2020 को प्राथमिकी संख्या आर सी 2172020 ए 0002 (आर यू डी-2) दर्ज की गई थी, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत श्री वी. एन. धूत, अज्ञात बैंक अधिकारियों एवं अन्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं आपराधिक दुराचार से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच में यह स्थापित किया गया है कि वीडियोकॉन समूह द्वारा प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा ऋण सुविधाएँ, अर्थात् एस बी एल सी सुविधा, जो भारतीय बैंकों के एस बी आई-नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा स्वीकृत की गई थी, जुपिटर सुविधा तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एस सी बी) सुविधा, को उनके स्वीकृत उद्देश्यों से व्यवस्थित रूप से विचलित किया गया। इन सुविधाओं का घोषित उद्देश्य विदेश स्थित तेल एवं गैस परिसंपत्तियों का विकास एवं पुनर्वित्तपोषण बताया गया था। निधियों का यह विचलन वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तकों के समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन में, समूह की विदेशी संस्थाओं एवं मध्यस्थों की सक्रिय संलिप्तता के साथ किया गया।

अपनाई गई कार्यप्रणाली में ऋण राशि को वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग्स लिमिटेड (वी एच एच एल) तथा इसकी विदेशी तेल एवं गैस अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से प्रवाहित किया गया, जिसके पश्चात निधियों को तेल एवं गैस संचालन से असंबद्ध गतिविधियों में संलग्न विदेशी वीडियोकॉन समूह कंपनियों के एक जटिल जाल के माध्यम से लेयरिंग किया गया। इन संस्थाओं में, अन्य के साथ-साथ, मेसर्स जुपिटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स वीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स ईगल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स पैरामाउंट ग्लोबल लिमिटेड, मेसर्स क्वाड्रेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स स्काई बिलियन ट्रेडिंग लिमिटेड तथा मेसर्स टी जी डी सी ग्वांगडोंग डिस्प्ले कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

परिपत्र लेन–देन, निर्यात अग्रिमों के समायोजन, अंतर-कंपनी ऋणों तथा निवेशों के माध्यम से निधियों को पुनः भारत में प्रवाहित किया गया, जहाँ उनका उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों से पूर्णतः असंबद्ध प्रयोजनों के लिए किया गया, जिनमें गैर-तेल व्यवसायों के व्ययों की पूर्ति, निवेश करना तथा व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों का सृजन शामिल है।

उक्त निधियों का एक महत्वपूर्ण भाग वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (वी आई एल) तथा इसकी भारतीय समूह कंपनियों की पुस्तकों एवं बैंक खातों के माध्यम से पुनः भारत में लेयरिंग कर प्रविष्ट कराया गया। इन अंतर्वाहों को निर्यात अग्रिम, ऋण पुनर्भुगतान, निवेश अथवा इक्विटी निवेश के रूप में दर्शाया गया, जिससे निधियों के छिपाव, एकीकरण तथा उन्हें वैध प्राप्तियों के रूप में प्रस्तुत करने में सुविधा हुई। निधियों के वास्तविक उपयोग को छिपाने तथा ऋण सुविधाओं तक निरंतर पहुँच बनाए रखने के उद्देश्य से ऋणदाता बैंकों को झूठे एवं भ्रामक उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए। जांच से यह उजागर हुआ है कि कुल यू एस डी 4.54 बिलियन की ऋण सुविधा में से यू एस डी 2.02 बिलियन राशि का उपयोग वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तकों द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया।

आगे यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (वी आई एल) तथा इसकी समूह कंपनियों के खाते एन पी ए घोषित हो गए। बैंकों द्वारा कुल ₹61,773.02 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें एस बी एल सी सुविधा के संबंध में ₹23,647.12 करोड़ की एन पी ए राशि शामिल है।

इस मामले में, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ₹17.69 करोड़ तथा ₹38.58 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों की कुर्की हेतु दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को ₹1,136.49 करोड़ की अपराध की आय के संबंध में श्री वी. एन. धूत तथा 12 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की गई है।